1

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल ग्वालियर म.प्र.

प्रकरण क्रमांक / 2016 निगरानी R 4063-I-16

मूलदास पुत्र श्री भैयालाल जाटव निवासी ग्राम रूसल्ला अभयराज तहसील सिरोंज जिला विदिशा म.प्र.

.... आवेदक

बनाम

मदन सिंह पुत्र श्री तुलसीराम दांगी निवासी ग्राम रूसल्ला अभयराज तहसील सिरोंज जिला विदिशा म.प्र.

.... अनावेदक

निगरानी अंतर्गत धारा 50 (1) म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959 न्यायालय नायब तहसीलदार मण्डल 02 तहसील सिरोंज जिला विदिशा म.प्र. प्रकरण क्रमांक 40/ए–6/2015– 16 द्वारा आदेश दिनांक 21.11.2016 के विरूद्व निगरानी प्रस्तुत है :–

माननीय न्यायालय,

आवेदक की ओर से निगरानी निम्नानुसार प्रस्तुत है :–

1. यहकि, अनावेदक द्वारा एक आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 109, 110 म.प्र.भू राजस्व संहिता का प्रस्तुत किया। जिसमें भूमि खाता जिसके ह.नं. 20,22, 23, 26, 28, 29, 30 , 139, 200, 334 , 416 कुल 11 किता कुल रकवा 9.712 हे. का ग्राम रूसल्ला अभयराज तहसील सिरोंज में स्थित है इस खाते में आवेदक का हिस्सा 0.588 हे. का हे। अनावेदक का यह भी कहना है कि आवेदक ने अनावेदक को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रमांक 961 दिनांक 09.07.2013 विक्रय कर दी है इस आधार पर नामान्तरण किया जावे।

2. यहकि, आवेदक द्वारा जबाब प्रस्तुत किया कि आवेदक द्वारा अनावेदक को कोई भूमि क्रय नही की है । यदि वास्तव में आवेदक द्वारा भूमि विक्रय की गई होती तो ...

XXIX(a)-BR(H)-11

(131)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-4063-एक/16 **जिला** - विदिशा

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
05-12-18	आवेदक की ओर से, अधिवक्ता श्री विनोद श्रीवास्तव उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी नायब तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत नायब तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अत: यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 26-02-19 को कलेक्टर, जिला विदिशा के समक्ष उपस्थित हों। (3) **प्रशासकीय सदस्य**	